न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—400 / 18 (आरसीएमएस नं. 2018 / 00389)

1. अर्जुनलाल पुत्र श्री मनसुखराम उम्र 58 वर्ष, जाति माली, निवासी चंवरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।

——रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 05.08.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू के आदेश दिनांक 11.10.2018 (प्रकरण संख्या 19 / 2017) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी ने दिनांक 08.09.2015 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रयकर्ता मदन लाल पुत्र भागीरथ व बसन्ती पत्नी भागीरथ कि वाके ग्राम चंवरा पटवार हल्का चंवरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1063, 1130 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.स6300 हैक्टयर में विक्रयकर्ता मदन लाल का हिस्सा 1 / 8 सम्पूर्ण व विक्रयकर्ता बसन्ती का हिस्सा 1 / 8 सम्पूर्ण एवं भूमि खसरा नम्बर 1104 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.5602 हैक्टयर में विक्रयकर्ता मदनलाल का हिस्सा 0.0638 हैक्टयर सम्पूर्ण व विक्रयकर्ता बसन्ती का हिस्सा 0.0652 सम्पूर्ण भूमि अर्थात कुल 0.2865 हैक्टयर भूमि विक्रय रूपये 1,48,000 / —रूपये में की थी तथा तत्पश्चात् बाद विक्रय दिनांक 17.09.2015 को एक संयुक्त खातेदार विश्वनाथ पुत्र जमनाधन ने मदन लाल, बसन्ती देवी व अन्य सहखातेदारों के खिलाफ एक दावा बाबत घोषणा व बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमें विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने दिनांक 08.06.17 को उक्त उनवानी विश्वनाथ बनाम शिम्भूदयाल आदि में अंतिम डिक्री पारित की जिसमें अपीलार्थी अर्जुनलाल के नाम खसरा नम्बर 1063 रकबा 0.02 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 1104 / 1 रकबा 0.2865 हैक्टयर भूमि दर्ज की गई तथा वादी विश्वानाथ के नाम खसरा नम्बर 1130 रकबा .58 हैक्टयर भूमि दर्ज की गई अर्थात विभाजन के आधार पर खसरा नम्बर 1130 का मदन व बसन्ती का 1 / 8 हिस्सा जो अर्जुन लाल ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.09.2015 को खरीदा था, वादी विश्वनाथ के पक्ष शिफ्ट कर दिया गया तथा वादी विश्वनाथ का खसरा नम्बर 1104 का आधा हिस्सा खसरा नम्बर 1130 के हिस्से के बदले में अर्जुन लाल के पक्ष में शिफ्ट कर दिया गया, इस प्रकार अंतिम डिक्री आदेश दिनांक 08. 06.17 के अनुसार मदन व बसन्ती जिसका हिस्सा अपीलार्थी अर्जुनलाल ने खरीदा था के खसरा नम्बर 1104 में कुल रकबा 0.2865 हैक्टयर हो गया तथा वादी विश्वनाथ के खसरा नम्बर 1130 में कुल रकबा 0.5800 हैक्टयर हो

P.T.O.

गया इसी के आधार पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में इन्द्राज कर दिया गया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह कहना कि अपीलार्थी ने खसरा नम्बर 1104 का रकबा 0.1290 हैक्टयर ही खरीदा है, सरासर गलत होने से अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह कहना कि खसरा नम्बर 1104 में अन्य सह खातेदार भी दर्ज रिकार्ड है लेकिन उनको पक्षकार नही बनाया गया है, आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है, कहना गलत है क्योंकि विभाजन के दावें में इस अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 से खसरा नम्बर 1163, 1130 व 1004 का बंटवारा करते हुये अपीलार्थी को खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.2865 हैक्टयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है लेकिन मौके पर खसरा नम्बर 1104 का वह हिस्सा जो अपीलार्थी के पास है उसका रकबा फर्द मौका रिपोर्ट पटवार हल्का चंवरा के अनुसार 1447 वर्गमीटर कम है जो कि गैर मुमकिन नाला व दक्षिण में बैठता है, ऐसे में खसरा नम्बर 1104 के अन्य हिस्सेदार जिनके पास बंटवारा के हिसाब से अपना–अपना हिस्सा है और अपीलार्थी का हिस्सा नाले में है ऐसी स्थिति में अन्य खातेदारो को पक्षकार बनाये बिना भी आदेश पारित किया जा सकता है और यदि अदालत हाजा का लगता था कि बेहतर दृढ विनिश्चय के लिए पक्षकार बनाया जाना उचित है तो अधीनस्थ न्यायालय न्यायहित में सुमोटो भी पक्षकार बनाने का आदेश पारित कर अन्य आवश्यक पक्षकारों को शामिल किया जाकर आदेश पारित किया जा सकता है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 1104 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व विभाजन आदेश तथा फर्द मौका रिपोर्ट पटवार हल्का चंवरा का अवलोकन करने के बाद भी अपीलार्थी के पक्ष में आदेश पारित करने में असफल रहा है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2018 निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2018 को निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र संख्या 19/17 बाबत नक्शा दुरूस्ती स्वीकार फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा केवल तहसीलदार उदयपुरवाटी को रेस्पोडेन्ट बनाकर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.18 में खसरा नम्बर 1104 की आराजी के अन्य सह खातेदार को पक्षकार नही

संभागीय आयुक्त
जयपुर

बनाये जाने का दृष्टिकोण अंकित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1104 के अन्य सह खातेदारों को पक्षकार बनाने हेतु अपीलान्ट को निर्देश दिये जा सकता थे या फिर अधीनस्थ न्यायालय स्वयं भी प्रभावित पक्षकारान का सुमोटो पक्षकार संयोजित कर एवं उन्हे सुनवाई का अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करने में सक्षम है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सह खातेदारान को प्रकरण में बिना पक्षकार बनाये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2018 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रभावित पक्षकारान को पक्षकार संयोजित किया जाकर एवं उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का दो माह की अवधि में विधि सम्मत निस्तारण करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।